झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।

1512
26/10/16

विज्ञापन संख्याः– 01/2016 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :– 08.11.2016

शुद्धि–पत्र

संविदा पर नियुक्ति हेतु सूचना

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड, राँची के विज्ञापन संख्या 01/2016 द्वारा विभिन्न पदों यथा प्राचार्य, व्यवसाय अनुदेशक एवं निम्नवर्गीय लिपिकों की संविदा पर नियुक्ति हेतु निदेशालय के वेबपोर्टल www.niyojanprashikshan.nic.in पर अपलोड की गई सूचना में आंशिक संशोधन निम्नवत् किया जाता है :–

क्रम संख्या–01 (प्राचार्य पद के लिए) की कंडिका ग निम्नवत् पढ़ा जाय :–

ग). वेतनमान् – रू0 9,300 – 34,800 + ग्रेड पे0– रू0 4,800/– के अन्तर्गत योजना–सह–वित्त विभाग झारखंड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुमान्य संविदा राशि।

क्रम संख्या – 02 से 12 कंडिका ग निम्नवत् पढ़ा जाय :–

ग). वेतनमान् : रू0 9,300 – 34,800 + ग्रेड पे0–4,200/– के अन्तर्गत योजना–सह–वित्त विभाग झारखंड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुमान्य संविदा राशि।

क्रम संख्या–13 एवं 14 कंडिका ग निम्नवत् पढ़ा जाय :–

ग). वेतनमान् रू0 9,300 – 34,800 + ग्रेड पे0 रू0 4,200 /– के अन्तर्गत योजना–सह–वित्त विभाग झारखंड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुमान्य संविदा राशि।

क्रम संख्या–15 कंडिका क, ख एवं नोट की कंडिका क निम्नवत् पढ़ा जाय :–

क). किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमिडिएट या 10+2 उत्तीर्ण तथा हिन्दी में 25 (पच्चीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए दो प्रतिशत (2%) से अधिक गलतियाँ होने पर अयोग्य करार दिया जायेगा।

ख). वेतनमान् रू0 5,200 – 20,200 + ग्रेड पे0 – 1900/– के अन्तर्गत योजना–सह–वित्त विभाग झारखंड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुमान्य संविदा राशि।

नोट :–क). न्यूनतम / अधिकतम उम्र सीमा की गणना दिनांक–01.08.2016 को की जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत् होगीः–

			दिव्यांगों के लिए
(i)	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
(ii)	पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	42 वर्ष
(iii)	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	43 वर्ष
(iv)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षो की छूट दी जायेगी।

विज्ञापन संख्या 01/2016 द्वारा संविदा पर नियुक्ति हेतु निदेशालय के वेबपोर्टल www.niyojanprashikshan.nic.in पर अपलोड की गई सूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से झारखंड राज्य में अवस्थित किसी भी नियोजनालय में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 08.11.2016 संध्या 5.00 बजे तक है।

नोट :– सभी सहायक निदेशक, नियोजन / जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों को पदवार एवं कोटिवार सूचीबद्ध करते हुए hard copy तथा soft copy के साथ दिनांक–21.11.2016 तक सीधे निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन(द्वितीय तल), आई0टी0आई0 परिसर, हेहल, राँची–834005 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उप निदेशक(नि0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखंड, राँची।